

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्ड...

लय

दिनांक	फर्द अहकाम
12/22	<p>पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली फर्द के अनुसार दिनांक...9...5...22...को पेश हो। ✓</p>
95/2012	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपाधीत नहीं। उत्तरवाज में वादी व वादी वकील को बार-बार आवाज मिलवायी गयी। आवाज मिलवाने में वादापूव वादी व वादी वकील उपाधीत नहीं। जिसकी जांच की जा रही है कि वादी व वादी वकील उत्तरवाज चलाने में रुकी नहीं ले रघुदी अतः सुनवा 15/1। यथा दिये गये बजाम में दायित्व अदम्य वापसी व अदम्य पेशी में वापस किया जाला है। पत्रावली फर्द अहकाम देकर उत्तरवाज री रुकी।</p>

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डन सिटा (करोली)